प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'एक'

[20/2/2019]

(5)

प्रश्न सं. [क्र. 585]

विधान सभा तारांकित प्रश्न कमांक. 585 के प्रश्न भाग (क) का परिशिष्ट "अ"

विषय :— माननीय विधायक महोदय द्वारा अपने पत्रों के माध्यम से सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक कार्यालय नरसिंहपुर के विरूद्ध की गई शिकायत पर की गई कार्यवाही की जानकारी :—

00—00

माननीय विधायक महोदय द्वारा तीन शिकायती पत्र दिनांक 17.01.2019 को जिला कलेक्टर, नरसिंहपुर को प्रेषित किये गये।

(1.) जिला चिकित्सालय, नरसिंहपुर में अनियमित औषधियों में कय के संबंध में जिला कलेक्टर एवं संचालनालय से की गई जांच में अनियमितता पाई गयी। इस पर जिला कलेक्टर द्वारा डॉ0विजय मिश्रा सिविल सर्जन नरसिंहपुर को सिविल सर्जन के प्रभार से हटाकर अन्य की पदस्थापना आदेश कमांक.1317/दिनांक 30.01.209 करते हुये उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रकरण संभागीय आयुक्त, जबलपुर को भेजा गया है एवं संबंधित दो स्टोर कीपरों को कलेक्टर नरसिंहपुर द्वारा निलंबित किया गया है।

(2.) जिला अस्पताल में स्वीकृत निर्माण कार्य परियोजना यंत्री, मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, संभाग कमांक—02,जबलपुर द्वारा कार्यवाही प्रचलन में है।

(3.) एन.आई.एच. द्वारा प्रदाय एम्बूलेंस की जांच जिला कलेक्टर नरसिंहपुर द्वारा दिनांक 28.01.2019 को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नरसिंहपुर को करने के निर्देश दिये गये है। जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।

संचालक,स्वास्थ्य सेवायें द्वारा अनुमोदित।

संयुक्त संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश